


26.07.2024

पवावली आज पेश हुई। प्राची अधिवक्ता
की राजेन्द्रसिंह काठ उपस्थित। अधिप्राची सेव्या
एक व दो के अधिवक्ता श्री नगेन्द्र भंडारिया
उपस्थित। अधिप्राची सेव्या तीन अनुपस्थित। दोनों
पक्षों की बहस सुनी गई। प्राची का बूढ़ निगरानी
प्राचीना निर्मित हो जाने से इस स्थान प्राचीना
पक्ष पर एक छिन्नी की उकार की ठोस ठाकवली
अपेक्षित नहीं है। अतः प्राची की यह स्थान
प्राचीना पक्ष इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।
निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पवावली फैसल
धुमार डेकर नम्बर से कम है।


(शुभम-यादव)
जिला कलेक्टर, सिराही